

**2017 का विधेयक संख्यांक 55**

[दि एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

**विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017**

वित्तीय वर्ष 2016-17 की सेवाओं के लिए भारत की संचित  
निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और  
विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 2017 है । संक्षिप्त नाम ।
2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत की संचित निधि में से 5 अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक सौ तेरह खरब, पचास अरब, पचपन करोड़, उनहत्तर लाख रूपए होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान संदाय किए जाने होंगे, 113,50,55,69,00,000 रूपए का निकाला जाना ।
3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । विनियोग ।

**अनुसूची**  
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		₹0	₹0	₹0
1	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	राजस्व 52,33,96,00,000 पूंजी 22,21,00,000	..	52,33,96,00,000 22,21,00,000
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व 3,00,000	..	3,00,000
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
4	परमाणु ऊर्जा	राजस्व 2,98,87,00,000 पूंजी 11,24,03,00,000	..	2,98,87,00,000 11,24,03,00,000
5	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	राजस्व 3,00,000 पूंजी 5,00,00,000	..	3,00,000 5,00,00,000
6	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	राजस्व 39,00,000	..	39,00,000
7	उर्वरक विभाग	राजस्व 2,00,000	..	2,00,000
8	भेषजीय विभाग	राजस्व 2,00,000 पूंजी 1,00,00,00,000	..	2,00,000 1,00,00,00,000
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व 1,00,000 पूंजी 69,07,00,000	..	1,00,000 69,07,00,000
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व 1,95,36,00,000	..	1,95,36,00,000
11	वाणिज्य विभाग	राजस्व 4,00,000 पूंजी 6,00,00,000	..	4,00,000 6,00,00,000
12	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व 1,00,000	..	1,00,000
13	डाक विभाग	राजस्व 1,50,41,00,000 पूंजी 1,00,000	3,08,00,000	1,53,49,00,000 1,00,000
14	दूर संचार विभाग	राजस्व 34,40,46,00,000 पूंजी 1,00,000	4,27,00,000	34,44,73,00,000 1,00,000
15	इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 97,62,00,000 पूंजी 1,00,000	..	97,62,00,000 1,00,000
16	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व 35,02,60,00,000	..	35,02,60,00,000
17	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व 14,26,00,000 पूंजी 1,00,000	2,32,00,000	16,58,00,000 1,00,000
18	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	राजस्व 5,37,00,000	..	5,37,00,000
19	संस्कृति मंत्रालय	राजस्व 3,00,000	..	3,00,000
20	रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण)	राजस्व 10,52,72,00,000 पूंजी 3,00,000	1,45,00,000 77,00,00,000	10,54,17,00,000 77,03,00,000

1	2	3	रु0	रु0	रु0
21	रक्षा पेंशन	राजस्व	32,92,94,00,000	36,00,000	32,93,30,00,000
22	रक्षा सेवाएं -- (राजस्व)	राजस्व	55,51,91,00,000	..	55,51,91,00,000
23	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	पूंजी	1,00,000	2,46,00,000	2,47,00,000
24	पूर्वतर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राजस्व	92,90,00,000	..	92,90,00,000
25	पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
27	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	राजस्व	11,91,00,000	..	11,91,00,000
28	विदेश मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
29	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	58,89,22,00,000	..	58,89,22,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
30	वित्तीय सेवाएं विभाग	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	35,86,38,00,000	..	35,86,38,00,000
	<b>भारित--ब्याज अदायगियां</b>	राजस्व	..	11,12,35,00,000	11,12,35,00,000
32	राज्यों को अंतरण	राजस्व	30,00,00,00,000	..	30,00,00,00,000
	<b>भारित--ऋण का प्रतिसंदाय</b>	पूंजी	..	1,08,54,37,69,00,000	1,08,54,37,69,00,000
36	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	15,00,00,000	..	15,00,00,000
37	राजस्व विभाग	राजस्व	7,02,00,000	..	7,02,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
38	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	2,80,17,00,000	..	2,80,17,00,000
39	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	2,80,00,00,000	..	2,80,00,00,000
41	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	92,96,00,000	..	92,96,00,000
42	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	14,48,47,00,000	..	14,48,47,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
43	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
44	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	6,23,15,00,000	..	6,23,15,00,000
		पूंजी	4,00,02,00,000	..	4,00,02,00,000
46	गृह मंत्रालय	राजस्व	2,09,06,00,000	..	2,09,06,00,000
48	पुलिस	राजस्व	9,65,08,00,000	..	9,65,08,00,000
50	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
51	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	5,00,000	..	5,00,000
52	उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	11,21,00,000	..	11,21,00,000
53	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	57,36,00,000	..	57,36,00,000
54	श्रम और रोजगार मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
56	विधि और न्याय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
58	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	राजस्व	16,97,90,00,000	..	16,97,90,00,000
59	खान मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
60	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
61	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
67	योजना मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
68	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	5,85,90,00,000	..	5,85,90,00,000
		पूंजी	2,96,26,00,000	..	2,96,26,00,000
70	लोक सभा	राजस्व	..	15,00,000	15,00,000

1	2		3		
			₹0	₹0	₹0
74	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	20,41,41,00,000	..	20,41,41,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
75	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	8,98,98,00,000	..	8,98,98,00,000
77	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
78	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	1,76,00,000	..	1,76,00,000
80	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	30,05,00,000	..	30,05,00,000
		पूंजी	28,37,00,000	..	28,37,00,000
81	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
82	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	राजस्व	30,45,00,000	..	30,45,00,000
83	दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग	राजस्व	3,00,000	..	3,00,000
84	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	2,99,14,00,000	..	2,99,14,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
85	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
86	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	2,00,00,00,000	1,10,00,00,000	3,10,00,00,000
87	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	4,00,000	..	4,00,000
88	पर्यटन मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
89	जनजातीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,51,00,000	1,21,17,00,000	1,22,68,00,000
90	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	राजस्व	6,20,43,00,000	..	6,20,43,00,000
		पूंजी	9,00,000	..	9,00,000
91	चंडीगढ़	राजस्व	30,96,00,000	..	30,96,00,000
92	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	58,10,00,000	..	58,10,00,000
		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
93	दमण और दीव	पूंजी	3,00,00,000	..	3,00,00,000
94	लक्षद्वीप	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
95	शहरी विकास मंत्रालय	राजस्व	1,00,000	..	1,00,000
		पूंजी	5,00,000	1,60,00,000	1,65,00,000
96	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	राजस्व	6,01,00,000	40,00,000	6,41,00,000
		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
97	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजस्व	2,17,20,00,000	..	2,17,20,00,000
98	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राजस्व	2,00,000	..	2,00,000
<b>योग :</b>			<b>4,81,81,39,00,000</b>	<b>1,08,68,74,30,00,000</b>	<b>113,50,55,69,00,000</b>

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और रेलों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा दिए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक है, पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

**अरुण जेटली**